Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana
No. 33-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019 (PHALGUNA 1, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th February, 2019

No. 04-HLA of 2019/9/3741.— The Haryana Laws (Special Provisions) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 04- HLA of 2019

THE HARYANA LAWS (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2019

A

BILL

to make special provisions for Districts of State falling under the National Capital Region for a period of one year and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent, commencement and cessation.

1. (1) This Act may be called the Haryana Law (Special Provisions) Act, 2019.

(2) It shall extend to the areas of the State under the National Capital Region.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.

(4) It shall cease to have effect on the expiry of one year from the date of its commencement.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "coercive action" includes cancellation of registration, impounding or seizure of specified agricultural purpose vehicle whether in pursuance of any order of any court, tribunal or authority established under law;

(b) "National Capital Region" means the National Capital Region as defined in the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (Central Act 2 of 1985);

(c) "specified agricultural purpose vehicle" means tractor, combine harvester or other such motor vehicle used for agriculture and allied purposes, registered for a period of ten years or more, with a registration authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 56 of 1988) in the State and operating on diesel as fuel;

(d) "State" means the State of Haryana;

(e) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Coercive action to be kept in abeyance.

3. (1) The State Government shall, within a period of one year from the commencement of this Act, make a policy for phasing out the specified agricultural purpose vehicle.

(2) Subject to the provisions contained in sub-section (1) and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, plying of specified agricultural purpose vehicle shall be permitted till such time, as may be specified in the policy issued by the State Government.

(3) All notices issued by the State Government or any authority for any coercive action against any specified agricultural purpose vehicle only on the ground that such specified agricultural purpose vehicle has been registered for a period of ten years or more, shall be suspended and no coercive action shall be taken during the period of one year from the date of commencement of this Act.

Power to give directions.

4. The State Government may issue such directions, as it may deem fit, from time to time, for the purposes of proper implementation of the provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Vehicles registered for a period of 10 years or more and operating on diesel as fuel are not permitted to be operated on roads in the area falling under National Capital Region (NCR) in pursuance to various orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal and the Hon'ble Supreme Court of India from time to time.

Appeals are still pending for consideration before the Hon'ble Supreme Court of India against the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal banning operation of such diesel vehicles in NCR and directing their de-registration, seizure and impounding.

Keeping in view the financial conditions of farmer and use of specified agricultural purpose vehicles in agricultural & transport activities in districts of Haryana falling in NCR, the State Government is considering to bring out a Policy for supporting phasing out these specified agricultural purpose vehicles gradually from districts of Haryana State falling in National Capital Region (NCR), and finalization of the Policy is likely to take some time.

The State Government has constituted a Committee of Experts to look into the financial aspects of farmers, their dependency on specified agricultural purpose vehicles for agricultural and allied activities, including transportation of agricultural & allied products and to suggest a comprehensive strategy to phase out specified agricultural purpose vehicles from districts of Haryana State falling under NCR.

In the meanwhile, action for impounding, seizure and de-registration of specified agricultural purpose vehicles, before a policy is finalized, is causing hardship and irreparable loss to a large number of farmers, people engaged in agricultural & allied activities including transportation of agricultural and allied produce.

Some time is required for making proper arrangements to ensure total ban on operation of specified agricultural purpose vehicles in the districts of Haryana falling under NCR without affecting the public at large.

The State Government, is of the opinion, that it is necessary and expedient to enact a law to provide temporary relief to the farmers and other affected people of Haryana residing in the Districts falling under NCR in respect of operation of specified agricultural purpose vehicles for a period of one year within which times various policy issues and support for phasing out of operations of specified agricultural purpose vehicles are expected to be finalised.

KRISHAN LAL PANWAR,
Transport Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 4 of the proposed bill empowers the State Government to issue such directions as it may deemed fit to any authority for the purposes of proper implementation of the provisions of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 04-एच०एल०ए०

हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019
एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्य के जिलों के लिए और इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा अस्तित्वहीन होना।

(2) इसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन राज्य के क्षेत्रों में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) यह इसके प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''प्रपीड़क कार्रवाई'' में शामिल है, विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन का पंजीकरण रद्द करना, परिबद्ध या जब्त करना, चाहे किसी न्यायालय, अधिकरण या विधि के अधीन स्थापित प्राधिकरण के किसी आदेश के अनुसरण में हो ;

(ख) ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ;

(ग) ''विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन'' से अभिप्राय है, राज्य में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 56) के अधीन पंजीकरण प्राधिकारी से दस वर्ष या से अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत कोई ट्रैक्टर, कम्बाईन, हारवैस्टर या अन्य ऐसा मोटर वाहन, जो कृषि और सहबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और ईंधन के रूप में डीजल से संचालित होता है ;

(घ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन को चरणबद्ध बाहर करने के लिए पालिसी बनाएगी। प्रास्थगन में रखी जाने वाली प्रपीड़क कार्रवाई।

(2) उप–धारा (1) में दिए गए उपबन्धों के अध्यधीन और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन को ऐसे समय तक चलाने हेतु अनुमत किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा जारी पालिसी में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) केवल इस आधार पर कि ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन दस वर्ष या से अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है, तो किसी विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन के विरूद्ध किसी प्रपीड़क कार्रवाई के लिए राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी सभी नोटिस निलम्बित हो जाएंगे और इस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।

4. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, समय–समय पर, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो यह ठीक समझे। निर्देश देने की शक्ति।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित विभिन्न आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में सड़कों पर दस साल व उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत और ईंधन के रूप में डीज़ल पर संचालित वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं है;

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने और उनके पंजीकरण को निरस्त करने, वाहनों को बन्द और जब्त करने के निर्देश देने के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील अभी भी विचारार्थ है;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर आने वाले हरियाणा के जिलों में किसानों की वित्तीय स्थितियों और कृषि और परिवहन गतिविधियों में विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा राज्य के जिलों से धीरे–धीरे इन विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार एक नीति पर विचार कर रही है और नीति को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगने की सम्भावना है;

राज्य सरकार ने किसानों के वित्तीय पहलुओं पर गौर करने के लिए कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों पर उनकी निर्भरता, कृषि उत्पादों और अन्य सामग्री के परिवहन में विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों की भूमिका आदि के बारे में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हरियाणा राज्य के जिलों से पुराने विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए तथा एक व्यापक रणनीति का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

इस बीच एक नीति को अन्तिम रूप देने से पहले विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों को बन्द करने, जब्त करने और उनके पंजीकरण को निरस्त करने की कार्यवाही से बढ़ी संख्या में किसानों तथा अन्य विकास के क्रियाकलापों के अतिरिक्त कृषि तथा अन्य संबंधित गतिविधीयों से जुड़े तथा कृषि उत्पादों तथा अन्य सामग्री के परिवहन से जुड़े लोगों को कठिनाई और अपूरणीय क्षति हो रही है।

बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों के संचालन पर सम्पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है;

राज्य सरकार की राय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों में रहने वाले हरियाणा के किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को अस्थाई राहत प्रदान करते हेतु विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों के एक वर्ष की अवधि के लिए संचालन के संदर्भ में एक कानून बनाना आवश्यक है और इस अवधि में विशेष कृषि प्रयोजन वाहनों के संचालन को चरणबद्ध तरीके से बन्द करने हेतु विभिन्न नीतिगत मुद्दों तथा सहयोग को अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

कृष्ण लाल पंवार,
परिवहन मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 20 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 4, राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, ऐसे निर्देश, जो किसी भी प्राधिकरण के लिए उपयुक्त हों, जारी करने का अधिकार देता है। कार्यकारी को इन शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य स्वरुप है। अतः प्रत्यायोजित विधान के संबंध में हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया एवं कारोबार के संचालन के नियम 126 के तहत अपेक्षित ज्ञापन सलंग्न है।

56864—H.V.S.—H.G.P.,Chd.